14/2017 जिला कलैक्टर श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण सं0 14/2017 अनवानी महावीरसिंह पुत्र भैरूसिंह जाति राजपूत निवासी चक 5 एस.टी.बी.ए. तहसील श्रीविजयनगर बनाम 1–भीमसिंह 2–राजेन्द्र सिंह पि0 भैरूसिंह जाति राजपूत निवासी घोटड़ा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू हाल निवासी 5 एस.टी.बी.ए तहसील श्रीविजयनगर 3–तहसीलदार, श्रीविजयनगर 4–पृथ्वीसिंह पुत्र भैरूसिंह जाति राजपूत निवासी 5 एस.टी.बी.ए तह. विजयनगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

20.02.2017

प्रार्थी के अभिभाषक श्री राजवीर सिंह उपस्थित है। उन्हे एडमिशन के बिन्दु पर सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी के अभिभाषक का कथन है कि तहसीलदार, श्रीविजयनगर के समक्ष एक प्रकरण सं0 3/2016 अनवानी भीमसिंह वगैरा बनाम सरकार लंबित है जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने अपने पिता भैरूसिंह की हस्तलिखित वसीयत दिनांक 13.10.2013 के आधार पर उक्त प्रकरण में चक 5 एस.टी.बी.ए के मु0न0 216/386 व 216/385 का नामान्तरण अपने नाम दर्ज करवाने के लिए प्रार्थना की है जबकि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 4 तथा अप्रार्थी सं0 1 व 2 श्री भैरूसिंह वसीयतकर्ता के ही पुत्र है और दिनांक 02.03.2016 को उनके द्वारा भी एक प्रा0 पत्र तहसीलदार विजयनगर के समक्ष इस आश्य का पेश किया था कि उक्त विवादग्रस्त भूमि जो कि भैरूसिंह पुत्र खंगारसिंह के नाम से दर्ज है तथा उनका देहान्त हो चुका है और उक्त रकबा की एक फर्जी वसीयत भीमसिंह पुत्र भैरूसिंह ने बना रखी है और इस वसीयत पर कोई स्टाम्प पेपर नही है और न ही यह वसीयत उपपंजियक व नोटेरी पब्लिक से तस्दीक शुदा है और उसमें लिखावट भी स्पष्ट नही है और उक्त भूमि का घरू विवाद भी चल रहा है और जो शपथपत्र उनसे लिये गये है वे धोखे में रखकर लिये गये है। इसलिए शपथ पत्र के आधार पर कोई कार्यवाही न की जावे। किन्तु इसके बाद भी तहसीलदार कार्यवाही करने पर उतारू है और उन्हे साक्ष्य पेश करने का मौका भी नही दिया जा रहा है और अप्रार्थी भीम सिंह व राजेन्द्र सिंह के बयान भी ऑर्डर शीट पर लिखे गये है और उनसे जिरह का अवसर भी नही दिया गया है। इस प्रकार वे न्याय से वंचित हो रहे है।

उनका आगे कथन है कि अप्रार्थी सं0 1 व 2 खुलेआम कह रहे है कि पीठासीन अधिकारी उनकी जान पहचान का है इसलिए फैसला उनके पक्ष में होगा। जिस कारण प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने की संभावना नही है। अतः प्रार्थी का प्रा0 पत्र सुनवाई के लिए एडमिट किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर निर्णय किया जावे।

मैने उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने तहसीलदार विजयनगर के समक्ष लंबित प्रकरण सं0 3/2016 अनवानी भीमसिंह वगैरा बनाम सरकार जो कि 5 एस.टी.बी.ए के प0न0 216/385 व 216/386 जो कि भैरूसिंह की वसीयत दिनांक 13.10.2013 के आधार पर ईन्तकाल दर्ज करवाने से संबंधित प्रकरण में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना को लेकर प्रार्थी महावीर सिंह ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र दिनांक 02.03.16 से प्रतीत होता है कि पृथ्वीसिंह, महावीर सिंह पि0 भैरू सिंह द्वारा तहसीलदार के समक्ष प्रा0 पत्र पेश करके उक्त वसीयत

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

के संबंध में आपतियां पेश की गयी है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रा0 पत्र में यह आरोप लगाया गया है कि पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी सं0 1 व 2 के प्रभाव में आकर विधिक प्रक्रिया नही अपना रहे है और अप्रार्थी खुलेआम कह रहे है कि पीठासीन अधिकारी उनकी जान पहचान का है इसलिए निर्णय उनके पक्ष में ही होगा। उक्त लगाया गया आरोप साधारण प्रकृति का है जो कि मुकदमा मुन्तकिली के लिए कोई ठोस आधार नही बनाता है। इसलिए प्रार्थी का मुन्तकिली प्रा0 पत्र सुनवाई हेतु ग्रहण करने योग्य न होने से खारिज करने योग्य है।

चूंकि प्रार्थी द्वारा तहसीलदार विजयनगर के समक्ष प्रस्तुत अपने प्रा0 पत्र दिनांक 02.03.16 में श्री भैरूसिंह की तथाकथित वसीयत पर जो आपतियां उठाई है उनका भी तहसीलदार विजयनगर द्वारा निस्तारण करना आवश्यक है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी महावीरसिंह का मुन्तकिली प्रा0 पत्र खारिज किया जाता है और तहसीलदार विजयनगर को न्याय हित में यह आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी के प्रा0 पत्र दिनांक 02.03.16 पर भी विधिवत विचार किया जावे। आदेश की प्रति तहसीलदार श्रीविजयनगर को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

457
28-2-17

आदेश आज दिनांक 20.02.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर